धन-कर

खंड 93 - निर्धारण से छूटे दान से संबंधित धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है ।

विद्यमान उपबंध के अधीन, उस दशा में जहां कर से प्रभार्य शुद्ध धन निर्धारण से छूट गए हैं, वहां निर्धारण अधिकारी, ऐसे व्यक्ति पर उससे यह अपेक्षा करने वाली सूचना की तामील करेगा कि वह तीस दिन से अन्यून ऐसी अवधि के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अपने शुद्ध धन की एक विवरणी देगा जिसकी बाबत ऐसा व्यक्ति सूचना में उल्लिखित मूल्यांकन की तारीख को निर्धारणीय है ।

विवरणी प्रस्तुत करने की तीस दिन से अन्यून की समय-सीमा का लोप करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 1989 से प्रभावी होगा और तदनुसार, 1 अप्रैल, 1989 को या उसके पश्चात् जारी की गई सूचनाओं के संबंध में लागू होगा ।

दान-कर

खंड 94 - निर्धारण से छूटे दान से संबंधित दान-कर अधिनियम, 1958 की धारा 16 का संशोधन करने के लिए है ।

विद्यमान उपबंध के अधीन, उस दशा में जहां कराधेय दान, जिनकी बाबत कोई व्यक्ति उक्त अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है (चाहे वे उसके द्वारा किए गए हों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा) निर्धारण से छूट गए हैं, वहां निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती पर यह अपेक्षा करने वाली सूचना की तामील कर सकेगा कि वह तीस दिन से अन्यून ऐसी अवधि के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उसके द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा सूचना में उल्लिखित पूर्ववर्ष के दौरान किए गए उसके कराधेय दान की विवरणी दे जिनकी बाबत वह निर्धारणीय है ।

विवरणी प्रस्तुत करने की तीस दिन से अन्यून की समय-सीमा का लोप करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 1989 से प्रभावी होगा और तदनुसार, 1 अप्रैल, 1989 को या उसके पश्चात् जारी की गई सूचनाओं के संबंध में लागू होगा ।

व्यय कर

खंड 95 - व्यय कर अधिनियम, 1987 को लागू करने से संबंधित व्यय-कर अधिनियम की धारा 3 का संशोधन करने के लिए है ।

व्यय कर अधिनियम, 1987 के उपबंध अन्य बातों के साथ, उस अधिनियम की धारा 3 के खंड (1) में निर्दिष्ट किसी होटल में उपगत किसी प्रभार्य व्यय को लागू करने के लिए है ।

व्यय कर अधिनियम, 1987 के उपबंध अन्य बातों के साथ-साथ, उस अधिनियम की धारा 3 के खंड (1) में निर्दिष्ट होटल में उपगत किसी प्रभार्य व्यय को लागू होते हैं।

उक्त खंड (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उक्त अधिनियम के उपबंधों को किसी ऐसे होटल में 1 जून, 2003 से पूर्व उपगत किसी प्रभार्य व्यय को लागू करने के लिए उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा ।

खंड 96 - व्यय कर के प्रभार से संबंधित व्यय-कर अधिनियम की धारा 4 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के खंड (क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, व्यय-कर अधिनियम की धारा 3 के खंड (1) में निर्दिष्ट किसी ऐसे होटल में उपगत प्रभार्य व्यय पर दस प्रतिशत की दर से व्यय कर उस अधिनियम के प्रारंभ से ही प्रभारित है ।

उक्त धारा के खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि व्यय कर 31 मई, 2003 के पश्चात् किसी होटल में प्रभार्य व्यय पर भारित नहीं होगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा।

सीमाशुल्क

खंड 97 - सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) धारा 2 का संशोधन करने के लिए है जिससे सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण का सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा-कर अधिकरण के रूप में प्रस्तावित पुनःनामकरण के परिणामस्वरूप "स्वर्ण (नियंत्रण)" के निर्देश को "सेवा-कर" से बदला जा सके। यह विधेयक के खंड 112 द्वारा धारा 129 में प्रस्तावित संशोधन का पारिणामिक है ।

खंड 98 - सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 7 का संशोधन करने के लिए है जिससे वर्तमान में केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी नियुक्ति करने के बजाय केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड को सीमाशुल्क पत्तनों, भूमि सीमाशुल्क केंद्रों, तटीय पत्तनों, विमान पत्तनों आदि को नियत करने के लिए सशक्त किया जा सके । ऐसी प्रत्येक अधिसूचना को, जिसे धारा 7 के अधीन जारी किया गया था और जो वित्त अधिनियम, 2003 के प्रारंभ से ठीक पूर्व प्रवर्तन में थी, तब तक बनाए रखे जाने का प्रस्ताव है जब तक वह संशोधित, परिवर्तित, विखंडित या अधिष्ठित नहीं कर दी जाती है।

खंड 99 - सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 15 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी भांडागारण से निकासी किए गए माल की बाबत शुल्क की दर और टैरिफ मूल्यांकन के अवधारण की तारीख वह तारीख होगी जब ऐसे माल की बाबत देशीय उपभोग के लिए प्रवेश का बिल उक्त अधिनियम की धारा 68 के अधीन पेश किया जाता है ।

खंड 100 - सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 का संशोधन करने के लिए है । उपखंड (i) उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे किसी ऐसे माल पर, जिस पर शुल्क उद्ग्रहणीय है, विशेष आदेश द्वारा, किन्हीं आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों में, जो ऐसे आदेश में कथित की जाएंगी, शुल्क के संदाय से छूट दी जा सके । उपखंड (ii) सौ रुपए के बराबर या उससे कम शुल्क का संग्रह न किए जाने के लिए उपबंध करने के लिए है ।

खंड 101 - सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 27 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि किसी निर्यातकर्ता को, अन्य बातों के साथ-साथ, उसके द्वारा संदत्त शुल्क और ब्याज के प्रतिसंदाय का दावा करने के लिए समर्थ बनाया जा सके, यदि उसने ऐसे शुल्क और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं किया हो ।

खंड 102 - सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 का संशोधन करने के लिए है जिससे शुल्क की मांग की सूचना जारी करने से पूर्व, यथास्थिति, सीमाशुल्क आयुक्त या मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने की अपेक्षा को समाप्त किया जा सके ।

खंड 103 - सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ङ का संशोधन करने के लिए है ।

उपखंड (क) धारा 28ङ के खंड (ग) में दी गई आवेदक की परिभाषा का संशोधन करने के लिए है जिससे ऐसी किसी पूर्णतः स्वामित्वाधीन समनुषंगी भारतीय कंपनी को, जिसकी धारक कंपनी कोई विदेशी कंपनी है, जो भारत में कोई कारबारी क्रियाकलाप करने का प्रस्ताव करने और अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन करने के लिए भी समर्थ बनाया जा सके ।

उपखंड (ख) धारा 28ङ के खंड (ज) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि आय-कर अधिनियम, 1961 में दिए गए "अनिवासी भारतीय", "भारतीय कंपनी" और "विदेशी कंपनी" पदों को परिभाषित किया जा सके ।

खंड 104 - सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ज की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अग्रिम विनिर्णय, सीमाशुल्क अधिनियम, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) अधीन जारी सभी अधिसूचनाओं के लागू होने की बाबत भी चाहा जा सकता है और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रभार्य कोई सीमाशुल्क उसी रीति में प्रभार्य होगा जो पहले से विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में है ।

खंड 105 - सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी जलयान या वायुयान या किसी यान का भारसाधक व्यक्ति या केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति, समुचित अधिकारी को आयात सूची या आयात रिपोर्ट, उसमें विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर परिदत्त करेगा और यदि ऐसी आयात सूची या आयात रिपोर्ट समुचित अधिकारी को उस समयावधि के भीतर परिदत्त नहीं की जाती है और ऐसे विलंब के लिए पर्याप्त कारण उपदर्शित नहीं किया जाता है तो भारसाधक व्यक्ति या अन्य व्यक्ति, पचास हजार रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा ।

खंड 106 - उस अवधि का विस्तार करते हुए, जिसके लिए माल भांडागारित रह सकेगा, संबंधित सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 61 का संशोधन करने के लिए है ।

उपखंड (क) धारा 61 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि किसी शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रम में उपयोग के लिए आशयित माल के संबंध में (पूंजी माल से भिन्न) तीन वर्ष की भांडागारण अवधि का विस्तार किया जा सके ।

उपखंड (ख) धारा 61 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है जिससे भांडागारित माल पर कर या ब्याज के संदाय की समय-सीमा को वर्तमान तीस दिन से बढ़ाकर नब्बे दिन किया जा सके ।

खंड 107 - सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 68 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि किसी भांडागारित माल के स्वामी को, उचित अधिकारी द्वारा देशी उपभोग के लिए ऐसे माल की निकासी का कोई आदेश किए जाने से पूर्व किरायों, अन्य प्रभारों और शास्तियों के संदाय पर माल के उसके हक को त्याग करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके ।

खंड 108 - सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 75क का संशोधन करने के लिए है जिससे कि उस अवधि को, जिसके परे दावाकर्ता को शुल्क वापसी का दावा फाइल करने के पश्चात् ब्याज संदेय है, दो मास से कम करके एक मास किया जा सके ।

खंड 109 - अनुचित रूप से निर्यात करने का प्रयास किए गए माल के अधिहरण से संबंधित सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 113 का संशोधन करने के लिए है ।

उपखंड (क) धारा 113 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि उस धारा के उपबंधों को धारा में आने वाले "शुल्क्य या प्रतिषिद्ध" शब्दों का लोप करके अशुल्क्य और अप्रतिषिद्ध माल के निर्यात तक विस्तारित किया जा सके ।

उपखंड (ख) धारा 113 के खंड (i) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा निर्यात माल, जिसकी बाबत मूल्य या किसी अन्य तात्त्विक विशिष्टि के संबंध में कोई गलत घोषणा की गई है, अधिहरण के लिए दायी होगा।

उपखंड (ग) धारा 113 के खंड (ट) का संशोधन करने के लिए है जिससे उक्त धारा के उपबंधों का विस्तार, उक्त खंड में आने वाले "वापसी के दावे के अधीन" शब्दों का लोप करके, सभी निर्यात संवर्धन स्कीमों के अधीन निर्यात तक किया जा सके ।

खंड 110 - निर्यात अपराधों के लिए शास्ति से संबंधित सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 114 का संशोधन करने के लिए है ।

उपखंड (क) धारा 114 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रतिषिद्ध माल के निर्यात का प्रयत्न करने वाले अपराधों की दशा में, शास्ति, निर्यातकर्ता द्वारा घोषित किए गए ऐसे माल के मूल्य की या उक्त अधिनियम के अधीन यथाअवधारित मूल्य की, इनमें से जो भी अधिक हो, तीन गुना होगी ।

उपखंड (ख) धारा 114 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह अधिकथित किया जा सके कि ऐसे माल के निर्यात का प्रयत्न करने वाले अपराधों की दशा में, जिसमें प्रतिषिद्ध या शुल्क्य माल से भिन्न माल अंतर्वलित है, शास्ति, निर्यातकर्ता द्वारा घोषित ऐसे माल के मूल्य या उक्त अधिनियम के अधीन यथाअवधारित मूल्य, इसमें जो भी अधिक हो, से अनधिक होगी ।

खंड 111 - अधिहरण और शास्ति के न्यायनिर्णयन से संबंधित सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 122 का संशोधन करने के लिए है । यह प्रस्ताव है कि सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त के न्यायनिर्णयन की धनीय सीमा को अधिहरण के लिए दायी माल के मूल्य के अनुसार वतर्मान में पचास हजार रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दिया जाए । सहायक सीमाशुल्क आयुक्त से न्यून की पंक्ति के सीमाशुल्क के राजपत्रित अधिकारी के न्यायनिर्णयन की धनीय सीमा को वतर्मान में दो हजार पांच सौ रुपए से बढ़ाकर दस हजार रुपए करने का प्रस्ताव है ।

खंड 112 - अन्य बातों के साथ-साथ, सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण को सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा-कर अपील अधिकरण के रूप में पुनःनामित करने और उससे संबंधित अन्य पारिणामिक विषयों के लिए सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129 का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 113 - सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 130 को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अपील अधिकरण के किसी आदेश के विरुद्ध अपीलें (सीमाशुल्क की दर या निर्धारण के प्रयोजन के लिए माल के मूल्य से संबंध रखने वाले किसी प्रश्न के अवधारण से संबंधित विषयों से भिन्न विषयों पर) उच्च न्यायालय में फाइल की जाएंगी और उच्च न्यायालय अपना यह समाधान करने के पश्चात् कि विधि का सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है, विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा । नया उपबंध 1 जुलाई, 2003 को या उसके पश्चात् के अपील अधिकरण के आदेशों को लागू होगा। प्रस्तावित धारा के अधीन कोई अपील सीमाशुल्क आयुक्त या अन्य पक्षकार द्वारा उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, प्राप्ति के एक सौ अस्सी दिन के भीतर फाइल की जाएगी। अन्य पक्षकार द्वारा अपील के साथ दो सौ रुपए की फीस होगी।

खंड 114 - सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 130क की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि विधेयक के खंड 113 द्वारा धारा 130 के प्रस्तावित संशोधनों के परिणामस्वरूप परिवर्तन किए जा सकें ।

खंड 115 - सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 130घ का संशोधन करने के लिए है। उपखंड (क) यह उपबंध करने के लिए उपधारा (1क) अंतःस्थापित करता है कि समुचित अधिकारी द्वारा किसी अपील में उच्च न्यायालय के निर्णय को प्रभावी किया जाएगा। उपखंड (ख), उपधारा (2) में कतिपय पारिणामिक संशोधन करने के लिए है।

खंड 116 - सीमाशुल्क अधिनियम की उच्चतम न्यायालय में अपील से संबंधित धारा 130ङ में संशोधन करने के लिए है। यह संशोधन, उच्च न्यायालय को अपील अधिकारिता उपलब्ध कराए जाने का पारिणामिक है।

खंड 117 - सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 135 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि माल के मूल्य की गलत घोषणा और कपटपूर्ण निर्यातों की दशाओं में अभियोजन के लिए उपबंध किया जा सके ।

खंड 118 - सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 136 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि सीमाशुल्क के ऐसे अधिकारियों के अभियोजन के लिए उपबंध किया जा सके, जो ऐसे किसी कार्य या बात को मौनानुमति देते हैं जिसके द्वारा कोई कपटपूर्ण निर्यात किया जाता है ।

खंड 119 - दूसरी अनुसूची के निबंधनों में सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं० सा०का०नि० 465(अ), तारीख 3 मई, 1990 और सा०का०नि० 423(अ), तारीख 20 मई, 1992 का संशोधन करने के लिए है । ऐसे अनुज्ञप्तिधारकों की बाबत, जिनकी इकाइयां गुजरात राज्य में जनवरी, 2001 में आए भूकंप द्वारा प्रभावित हुई थीं, निर्यात बाध्यताओं को पूरा करने के लिए समय-सीमा का विस्तार करने का प्रस्ताव है । समय का विस्तार, कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए है और 31 मार्च, 2002 के परे और 31 मार्च, 2004 तक उपलब्ध रहेगा ।

खंड 120 - सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी निर्यात संवर्धन स्कीमों से संबंधित कतिपय अधिसूचनाओं का तीसरी अनुसूची के निबंधनों के अनुसार भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित करने के लिए है, जिससे कि ब्याज की दर, चौबीस प्रतिशत से कम करके पन्द्रह प्रतिशत की जा सके।

खंड 121 - चाय और चाय अवशिष्ट पर अतिरिक्त सीमाशुल्क का एक रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अधिभार के रूप में उद्ग्रहण करने और यह उपबंध करने के लिए भी है कि उसके आगम संघ के प्रयोजनों के लिए होंगे ।

सीमाशुल्क टैरिफ

खंड 122 - सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि भूतलक्षी रूप से, अर्थात् 1 मार्च, 2002 से, यह उपबंध किया जा सके कि अतिरिक्त सीमाशुल्क की संगणना के लिए आयातित वस्तु का मूल्य, जिसके अंतर्गत उतराई प्रभार और उक्त वस्तु पर प्रभार्य सीमाशुल्क भी है, गणना में लिया जाएगा। प्रतिपाटन शुल्क, सुरक्षा शुल्क, आदि जैसे अन्य शुल्कों को गणना में नहीं लिया जाएगा।

खंड 123 - सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3क का संशोधन करने के लिए है जिससे भूतलक्षी रूप से, अर्थात् 1 मार्च, 2002 से, यह उपबंध किया जा सके कि विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क की संगणना करने के लिए, केवल आयातित वस्तुओं का मूल्य, जिसके अंतर्गत उतराई प्रभार, उक्त वस्तु पर प्रभार्य सीमाशुल्क और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रभार्य अतिरिक्त सीमाशुल्क भी है, गणना में लिया जाएगा । प्रतिपाटन शुल्क, सुरक्षा शुल्क, आदि जैसे अन्य शुल्कों को गणना में नहीं लिया जाएगा ।

खंड 124 - पाटित वस्तुओं के संबंध में प्रतिपाटन शुल्क से संबंधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क का संशोधन करने के लिए है जिससे उक्त धारा की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (ii) की मद (क) में आने वाले "यह राज्यक्षेत्र अथवा किसी समुचित तीसरे देश से" शब्दों के स्थान पर, "से किसी समुचित तीसरे देश के राज्यक्षेत्र को" शब्दों को रखा जा सके ।

खंड 125 - सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण के सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा-कर अधिकरण के रूप में प्रस्तावित पुनःनामकरण के कारण "स्वर्ण (नियंत्रण)" के निर्देश को सेवा-कर से बदला जा सके।

खंड 126 - वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल के साथ ही तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर संबंधित अनुसूचियों में विहित दर से राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता सीमाशुल्क उद्ग्रहण करने के लिए है और यह उपबंध करने के लिए भी है कि इसके आगम केवल संघ के प्रयोजनो के लिए होंगे । तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट मालों पर उद्ग्रहण केवल 29 फरवरी, 2004 तक प्रभावी होगा।

उत्पाद-शुल्क

खंड 127 - उक्त अधिनियम के अधीन परिभाषाओं से संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है ।

उपखंड (क) धारा 2 के खंड (कक) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण के सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा-कर अपील अधिकरण के रूप में प्रस्तावित पुनःनामकरण के कारण "स्वर्ण (नियंत्रण)" के निर्देश को सेवा-कर से बदला जा सके ।

उपखंड (ख) धारा 2 के खंड (च) के उपखंड (iii) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में, किसी यूनिट आधान में माल की पैकिंग या पुनर्पैकिंग, आधान में लेबल लगाना या पुनर्लेबल लगाना, आधान पर रखी विक्रय कीमत की घोषणा या परिवर्तन या उपभोक्ता को विपणनीय उत्पाद देने के लिए किसी अन्य उपचार का अपनाया जाना विनिर्माण होगा । केन्द्रीय सरकार की "विनिर्माण" के रूप में किसी प्रक्रिया को अधिसूचित करने की शक्ति को वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा खंड (च) में उपबंधित किए गए अनुसार वापस लेने का प्रस्ताव है ।

खंड 128 - उत्पाद शुल्क प्रभारित करने के प्रयोजनों के लिए उत्पाद-शुल्क्य माल के मूल्यांकन से संबंधित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 4 का संशोधन करने के लिए है ।

उपखंड (क) धारा 4 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उत्पाद-शुल्क्य माल के कीमत-सह-शुल्क में ऐसे माल के संबंध में संदेय शुल्क सम्मिलित समझा जाएगा ।

खंड (ख)(i) धारा 4 की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि हटाने के स्थान के अंतर्गत कोई डिपो, परेषण अभिकर्ता का परिसर या कोई अन्य स्थान या परिसर भी है, जिससे उत्पाद-शुल्क्य माल कारखाने से निकासी के पश्चात् विक्रीत किए जाते है ।

उपखंड (ख)(ii) यह उपबंध करने के लिए है कि उक्त धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) के उपखंड (iii) के अधीन निकासी माल की बाबत हटाने का समय वह समय समझा जाएगा, जिसमें माल की कारखाने से निकासी होती है ।

खंड 129 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 4क की उपधारा (4) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी माल को किसी विनिर्माता द्वारा फुटकर विक्रय कीमत की सही घोषणा के बिना हटाया जाता है या जहां विनिर्माता विनिर्माण के स्थान से माल के हटाए जाने के पश्चात् घोषित फुटकर विक्रय कीमत में छेड़छाड़ करता है, मिटाता है या परिवर्तन करता है वहां ऐसे माल अधिहरण के लिए दायी हैं और केन्द्रीय सरकार, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, ऐसे माल की फुटकर विक्रय कीमत अभिनिश्चित कर सकती है । जहां घोषित फुटकर विक्रय कीमत में, विनिर्माण के स्थान से उसकी निकासी के पश्चात् फुटकर विक्रय कीमत में वृद्धि करने के लिए परिवर्तन किया जाता है वहां ऐसी परिवर्तित फुटकर विक्रय कीमत को उक्त धारा के प्रयोजन के लिए फुटकर विक्रय कीमत समझा जाएगा । फुटकर विक्रय कीमत की परिभाषा का किसी स्थानीय करों या अन्यथा को अपवर्जित करने का अर्थ लगाया जाएगा यदि अधिनियम, नियमों या उक्त धारा 4क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अन्य विधि के उपबंधों में उत्पाद-शुल्क्य माल वाले पैकेजों पर ऐसे करों को छोड़कर फुटकर विक्रय कीमत की घोषणा करने की अपेक्षा की जाती है ।

खंड 130 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे कि केन्द्रीय सरकार को किसी आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन उत्पाद-शुल्क के संदाय से माल को छूट देने के लिए सशक्त बनाया जा सके ।

खंड 131 - उद्गृहीत न किए गए या असंदत्त या कम उद्गृहीत या कम संदत्त या गलत प्रतिसंदत्त शुल्कों की वसूली से संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11क का संशोधन करने के लिए है ।

उपखंड (क) उक्त धारा 11क की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या मुख्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा माल की सूचना के पूर्वानुमोदन की अपेक्षा का लोप किया जा सके ।

उपखंड (ख) उक्त धारा 11क की उपधारा (2ख) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना वहां तामील नहीं की जाएगी जहां उत्पाद-शुल्क के लिए प्रभार्य व्यक्ति, अपने स्वयं के अभिनिश्चय पर या किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा अभिनिश्चित शुल्क के आधार पर उस उपधारा में यथाविहित ऐसे शुल्क का संदाय कर देता है जो उक्त उपधारा (2ख) में विहित है ।

खंड 132 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में यथाउपबंधित अधिक संगृहीत शुल्क की रकमों पर ब्याज से संबंधित नई धारा 11घघ अंतःस्थापित करने के लिए है । यह उपबंध अधिकथित करता है कि दस प्रतिशत से अन्यून और छत्तीस प्रतिशत से अनधिक की दर से ब्याज उक्त अधिनियम की उक्त धारा 11ग की उपधारा (3) के अधीन अवधारित किए गए संदेय शुल्क की अधिक रकमों पर वसूलनीय होगा ।

खंड 133 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 13 को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून पंक्ति के किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को, ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके लिए उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन बनाए गए दंड के लिए दायी है, केवल आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ही गिरफ्तार करने के लिए सशक्त बनाया जा सके ।

खंड 134 - अग्रिम विनिर्णय से संबंधित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23क का संशोधन करने के लिए है ।

उपखंड (क) उक्त धारा 23क के खंड (ग) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे कि भारत में कोई कारबारी क्रियाकलाप करने का प्रस्ताव करने वाली किसी पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी भारतीय कंपनी को, जिसकी धारक कंपनी, विदेशी कंपनी है, अग्रिम विनिर्णय का आवेदन करने के लिए भी अनुज्ञात किया जा सके ।

उपखंड (ख) उक्त धारा 23क की उपधारा (च) का संशोधन करने के लिए है जिससे आय-कर अधिनियम में दी गई परिभाषाओं के अनुसार "भारतीय कंपनी" और "विदेशी कंपनी" पदों को परिभाषित किया जा सके।

खंड 135 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23ग की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अधीन और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रभार्य कोई शुल्क की बाबत जारी सभी अधिसूचनाओं के लागू होने के संबंध में अग्रिम विनिर्णय चाहा जा सकेगा उसी रीति में होगा जो पहले से विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में है ।

खंड 136 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35छ का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अपील अधिकरण के किसी आदेश के विरुद्ध सभी अपीलें (उत्पाद-शुल्क की दर या निर्धारण के प्रयोजन के लिए माल के मूल्य से संबंध रखने वाले किसी प्रश्न के अवधारण से संबंधित विषयों से भिन्न विषयों पर) उच्च न्यायालय में फाइल की जाएंगी और उच्च न्यायालय अपना यह समाधान करने के पश्चात् कि विधि का सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है, विधि का प्रश्न बनाएगा । नए उपबंध 1 जुलाई, 2003 को या उसके पश्चात् पारित अपील अधिकरण के आदेशों को लागू होंगे। प्रस्तावित धारा के अधीन कोई अपील उत्पाद-शुल्क आयुक्त या अन्य पक्षकार द्वारा उस आदेश के जिसके विरुद्ध अपील की गई है, प्राप्ति के एक सौ अस्सी दिन के भीतर फाइल की जाएगी । अन्य पक्षकार द्वारा अपील के साथ दो सौ रुपए की फीस होगी।

खंड 137 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ज की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे उसमें उक्त अधिनियम की धारा 35छ के संशोधन के अनुसार पारिणामिक परिवर्तन किए जा सकें।

खंड 138 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ट का संशोधन करने के लिए है जिससे उसमें उपधारा (1क) को अंतःस्थापित किया जा सके और संबंधित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा किसी अपील में उच्च न्यायालय के किसी निर्णय को प्रभावी करने का उपबंध किया जा सके और उक्त धारा की उपधारा (2) में कतिपय पारिणामिक संशोधन भी किए गए हैं।

खंड 139 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ठ का संशोधन करने के लिए है जो उच्चतम न्यायालय में किसी अपील के संबंध में है। यह संशोधन, उच्च न्यायालय को उपलब्ध अपीली अधिकारिता में पारिणामिक संशोधन है।

खंड 140 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में एक अनुसूची, अर्थात् तीसरी अनुसूची, अंतःस्थापित करने के लिए है । केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 2 के खंड (च) के उपखंड (iii) में प्रस्तावित तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की बाबत कतिपय प्रक्रियाएं किए जाने को "विनिर्माण" के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

खंड 141 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमों के नियम 57द के उपनियम (5) और उपनियम (8) का भूतलक्षी रूप से, अर्थात् छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट तारीखों और रीति से, संशोधन करने के लिए है और जिससे कि यह अधिकथित किया जा सके कि आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन राजस्व व्यय के रूप में पूंजी माल पर संदत्त शुल्क के

प्रत्यय की कटौती का दावा करने वाले विनिर्माता और उक्त आय-कर अधिनियम के अधीन अवक्षयण के रूप में, माल के संबंध में संदत्त विनिर्दिष्ट शुल्क का प्रत्यय, पूंजी माल के भाग मूल्य की बाबत अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

खंड 142 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमों के नियम 57च का भूतलक्षी रूप से 8 जुलाई, 1999 से और उक्त नियम के नियम 57कख का भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2000 से संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अधिसूचना सं० 32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और 33/99- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, दोनों तारीख 8 जुलाई, 1999 के अधीन छूट का उपभोग करने के पश्चात् निकासी किए गए अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त अंतःनिवेशों पर संदत्त शुल्क के प्रत्यय का, केवल उक्त अधिसूचनाओं के अधीन निकासी किए गए अंतिम उत्पादों पर शुल्क के संदाय के लिए ही उपयोग किया जाएगा।

खंड 143 - केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 के नियम 3 को भूतलक्षी रूप से 1 जुलाई, 2001 से संशोधित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अधिसूचना स० 32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और 33/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999 के अधीन छूट का उपभोग करने के पश्चात् निकासी किए गए अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग किए गए निवेशों पर संदत्त शुल्क के प्रत्यय को उक्त अधिसूचनाओं के अधीन निकासी किए गए अंतिम उत्पादों पर केवल शुल्क के संदाय के लिए उपयोग किया जाएगा ।

खंड 144 - केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 3 का, अधिसूचना सं0 42/2002-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 23 दिसम्बर, 2002 को भूतलक्षी प्रभाव से, अर्थात् 1 मार्च, 2002 से संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अधिसूचना सं० 32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सं० 33/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क दोनों तारीख 8 जुलाई, 1999 के अधीन छूट का उपभोग करने के पश्चात् निकासी किए गए अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग किए गए निवेशों पर संदत्त शुल्क के प्रत्यय को उक्त अधिसूचनाओं के अधीन निकासी किए गए अंतिम उत्पादों पर केवल शुल्क के संदाय के लिए उपयोग किया जाएगा ।

खंड 145 - अधिसूचना सं० सा०का०नि० 508 (अ) और सा०का०नि० 509 (अ) को भूतलक्षी रूप से दोनों को तारीख 8 जुलाई, 1999 से 22 दिसम्बर, 2002 तक संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त अधिसूचनाओं के अधीन अनुज्ञेय प्रतिदाय की रकम संदत्त शुल्क में से अपनी-अपनी अधिसूचनाओं के अधीन निकासी किए गए माल के विनिर्माण में या उससे संबंधित निवेशों पर संदत्त शुल्क की बाबत उपभोग किए गए केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय की रकम घटाकर संदत्त शुल्क की रकम से अधिक नहीं होगी ।

खंड 146 - सा०का०नि० 508 (अ) और सा०का०नि० 509 (अ), दोनों तारीख 8 जुलाई, 1999 को नौवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से भूतलक्षी रूप से संशोधन करने के लिए है जिससे,-

(क) अध्याय 24 के अंतर्गत आने वाले सिगरेटों और शीर्ष सं० 21.06 या 24.04 के अंतर्गत आने वाले तंबाकू युक्त पान मसाला को अधिसूचनाओं की उक्त छूट की परिधि से 8 जुलाई, 1999 से अपवर्जित किया जा सके;

(ख) अध्याय 24 के अंतर्गत आने वाले माल को उक्त अधिसूचना की परिधि से 1 मार्च, 2001 से अपवर्जित किया जा सके; और

(ग) पूर्वोत्तर चार तेल रिफायनरियों को उक्त अधिसूचनाओं को छूट की परिधि से 12 फरवरी, 2002 से अपवर्जित किया जा सके ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

खंड 147 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली और दूसरी अनुसूची का संशोधन करने के लिए है।

उपखंड (क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे कि -

(क) निम्नलिखित अध्यायों, शीर्षकों और उपशीर्षकों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की बाबत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में वृद्धि की जा सके, अर्थात् :-

"अध्याय 15 (शीर्ष सं० 15.02 और शीर्ष सं० 15.03 और 15.04 और उपशीर्ष सं० 1508.90), 25 (उपशीर्ष सं० 2502.10 और 2502.25), 59 (उपशीर्ष सं० 5906.91)";

(ख) निम्नलिखित अध्यायों और उपशीर्ष संख्याओं के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की बाबत विनिर्दिष्ट से मूल्यानुसार उत्पाद-शुल्क उदग्रहण करने के ढंग में परिवर्तन किया जा सके, अर्थात् :-

"अध्याय 36 (उपशीर्ष सं० 3605.90)";

(ग) निम्नलिखित अध्याय और उपशीर्ष संख्याओं के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की बाबत मूल्यानुसार से मूल्यानुसार सह विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क उद्ग्रहण करने के ढंग में प्रवर्तन किया जा सके, अर्थात् :-

"अध्याय 87 (उपशीर्ष सं० 8706.29, 8706.42 और 8706.49)";

(घ) अध्याय टिप्पण और टैरिफ वर्णन का,--

(i) अध्याय टिप्पण 3 से अध्याय 11 में विनिर्माण की कतिपय प्रसंस्करण रकम को स्पष्ट करने के लिए ;

(ii) अध्याय 15 के अध्याय टिप्पण 4 में विनिर्माण की कतिपय प्रसंस्करण रकम को स्पष्ट करने के लिए ;

(iii) अध्याय 73 के अध्याय टिप्पण 5 में विनिर्माण की कतिपय प्रसंस्करण रकम को स्पष्ट करने के लिए ;

(iv) उपशीर्ष संख्या 2710.90 को प्रतिस्थापित करने के लिए,

संशोधन किया जा सके ;

उपखंड (ख) उक्त दूसरी अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे निम्नलिखित अध्याय शीर्ष और उपशीर्ष संख्यांकों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की बाबत उत्पाद-शुल्क को कम किया जा सके, अर्थात् :--

"अध्याय 21 (उपशीर्ष संख्यांक 2108.10), अध्याय 22 (उपशीर्ष संख्यांक 2201.20 और 2202.20) अध्याय 40 (उपशीर्ष संख्यांक 4011.90, 4012.11, 4012.19, 4012.90 और 4013.90), अध्याय 54 (उपशीर्ष संख्यांक 5402.20, 5402.32, 5402.42, 5402.43, 5402.52 और 5402.62), अध्याय 84 (शीर्ष संख्यांक 84.15), अध्याय 87 (उपशीर्ष संख्यांक 8702.10, 8703.90, 8704.90, 8706.21, 8706.39 और 8706.49)"।

खंड 148 - अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विनिर्दिष्ट महत्व का माल) अधिनियम की दूसरी अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे कुल कर राजस्व के भाग से इंकार किए बिना राज्यों को चीनी, टैक्सटाइल और तंबाकू उत्पादों पर चार प्रतिशत से अन्यून की दर से विक्रय कर उद्गृहीत करने के लिए समर्थ बनाया जा सके । संशोधन अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होगा।

खंड 149 - चाय और चाय अपशिष्ट पर एक रुपया प्रति किलोग्राम की दर से अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहण करने के लिए है और यह भी उपबंध करने के लिए है कि आगम संघ के प्रयोजनों के लिए होंगे ।

सेवा-कर

खंड 150 - 16 जुलाई, 1997 से आरंभ होने वाली और 16 अक्तूबर, 1998 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 68 और धारा 70 का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने और नई धारा 71क अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे किसी माल परिवहन परिचालकों और निकासी और अग्रेषण अभिकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं की दशा में ग्राहक से सेवा-कर के संग्रहण को विधिमान्य किया जा सके ।

खंड 151 - सेवा-कर से संबंधित वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 का संशोधन करने के लिए है ।

(क) उपखंड (क) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 को प्रतिस्थापित करने और कराधेय सेवा के वर्गीकरण से संबंधित एक नई धारा 65क को अंतःस्थापित करने के लिए है । उन सेवाओं के अतिरिक्त, जिन पर सेवा-कर उद्ग्रहणीय है, निम्नलिखित सेवाओं की बाबत सेवा-कर के उद्ग्रहण का प्रस्ताव है, अर्थात् :--

(i) कारबार सहायक सेवाओं से संबंधित कोई वाणिज्यिक समुत्थान ;

(ii) वाणिज्यिक कोचिंग या प्रशिक्षण से संबंधित कोई वाणिज्यिक कोचिंग या प्रशिक्षण केंद्र ;

(iii) स्थापन या प्रतिस्थापन से संबंधित कोई स्थापन या प्रतिस्थापन अभिकरण;

(iv) कारबार विशेषाधिकार से संबंधित कारबार विशेषाधिकार देने वाला व्यक्ति;

(v) इंटरनेट की पहुंच से संबंधित किसी इंटरनेट कैफे द्वारा ;

(vi) अनुरक्षण या मरम्मत से संबंधित कोई व्यक्ति ;

(vii) तकनीकी परीक्षण से संबंधित कोई तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण अभिकरण तथा तकनीकी निरीक्षण और प्रमाणन से संबंधित तकनीकी प्रमाणन अभिकरण ;

(viii) किसी मैक्सी कैब की सर्विस या मरम्मत से संबंधित कोई प्राधिकृत सेवा केंद्र ;

(ix) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी से भिन्न कोई विदेशी विनिमय (फोरेक्स) दलाल जिसमें बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाओं से संबंधित वित्तीय संस्था और कोई निगमित निकाय सम्मिलित है ;

(x) ऐसी सेवाओं के अतिरिक्त, माल या जलयानों के संबंध में, अन्य पत्तन या अन्य पत्तन द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति;

(ख) उपखंड (ख) धारा 66 को प्रतिस्थापित करने के लिए भी है जिससे उसमें यह अधिकथित किया जा सके कि कतिपय सेवाओं की बाबत सेवा-कर कराधेय सेवाओं के आठ प्रतिशत की दर से होगा । उक्त खंड में यह भी अधिकथित है कि उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उपर उपखंड (क) में निर्दिष्ट नई सेवाओं पर कराधेय सेवाओं के मूल्य के आठ प्रतिशत की दर से सेवा-कर उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा ;

(ग) उपखंड (ग) उक्त अधिनियम की धारा 67 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि अनुरक्षण या मरम्मत सेवा उपलब्ध कराने के प्रक्रम के दौरान ग्राहक को विक्रीत पुर्जों या अन्य सामग्रियों की, यदि कोई हो, या सेवा स्थापित करने या प्रतिस्थापित करने के प्रक्रम के दौरान ग्राहक को विक्रीत पुर्जों या अन्य सामग्रियों, यदि कोई हों, की लागत संदेय सेवा-कर की संगणना करते समय सम्मिलित नहीं की जाएगी ;

(घ) उपखंड (घ) उक्त अधिनियम की धारा 73 का संशोधन करने के लिए है जिससे अन्य बातों के साथ, उस दशा में जहां सेवा-कर की रकम कम संदत्त की गई है या संदत्त नहीं की गई है, निर्धारिती द्वारा उस पर ब्याज सहित स्वैच्छिक रूप से संदत्त की जाती है, गलत विवरण या तथ्यों को जानबूझकर छिपाने के मामलों के सिवाय, वहां स्वप्रेरणा से कार्यवाही के रोके जाने और हेतुक दर्शित करने की सूचना जारी न करने का उपबंध किया जा सके ;

(ङ) उपखंड (ङ) धारा 78 का संशोधन करने के लिए है । उक्त धारा कराधेय सेवा की कीमत को छिपाने के लिए शास्ति से संबंधित है । यदि धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन अवधारित सेवा-कर और धारा 75 के अधीन उस पर देय ब्याज, सेवा-कर का अवधारण करने वाले, यथास्थिति, सहायक केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त और उप केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के आदेश की सूचना के तीस दिन के भीतर संदत्त किए जाते हैं ;

(च) उपखंड (च) उक्त अधिनियम की धारा 83 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि सेवा-कर के संबंध में उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ग और धारा 12 को लागू किया जा सके ;

(छ) उपखंड (छ) उक्त अधिनियम की धारा 85 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि सेवा-कर के किसी प्रतिदाय से इंकार करने के लिए, यथास्थिति, सहायक केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के आदेश के विरुद्ध आयुक्त (अपील) को अपील फाइल करने के लिए समर्थ बनाया जा सके ;

(ज) उपखंड (ज) उक्त अधिनियम की धारा 94 का संशोधन करने के लिए है जिससे कराधेय सेवा से संबंधित उपभोग की गई सेवा और माल पर संदत्त शुल्क या संदत्त समझे गए शुल्क पर संदत्त सेवा-कर के प्रत्यय का उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त किया जा सके ;

(झ) उपखंड (झ) उक्त अधिनियम की धारा 95 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि केंद्रीय सरकार को कराधेय सेवा की परिधि को स्पष्ट करने और वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा सम्मिलित प्रस्तावित कराधेय सेवाओं से संबंधित उसके मूल्य को कराधेय सेवाओं पर सेवा-कर उद्ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष के भीतर स्पष्ट करने के आदेश जारी करने के लिए सशक्त किया जा सके ;

(ञ) उपखंड (ञ) उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रस्तावित किसी सेवा के संबंध में, विनिर्दिष्ट रीति में सेवा-कर का संदाय करने के दायित्व की बाबत विधि या तथ्य के प्रश्न से संबंधित अग्रिम विनिर्णय का उपबंध करने के लिए, उक्त अधिनियम में नया अध्याय 5क अंतःस्थापित करने के लिए है । सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25च के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण ऐसे विषयों के संबंध में उक्त प्राधिकरण होगा।

खंड 152 - अधिसूचना संख्या 43/97-सेवा-कर, तारीख 5 नवंबर, 1997 [सा०का०नि०639(अ)] को संशोधित करने और भूतलक्षी रूप से 16 नवंबर, 1997 से प्रभावी करने के लिए है जिससे राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत लघु उद्योग और एकमात्र तथा अनन्य रूप से कारोबारी कंपनी, को उपलब्ध कराई गई माल परिवहन प्रचालक सेवाओं पर सेवा-कर को छूट दी जा सके।

केंद्रीय विक्रय कर

खंड 153 - केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात् विक्रय कर कहा गया है) की धारा 6 का संशोधन करने के लिए है । केंद्रीय सरकार को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भारत में किसी विदेशी राजनयिक मिशन या कोंसलीय या संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्य उसी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय निकाय जो किसी अभिसमय के अधीन ऐसे विशेषाधिकार या तत्समय प्रवृत्त किसी विधिके अधीन के लिए हकदार हैं के किसी पदधारी या कार्मिक को उनके लिए या उन मिशनों, संयुक्त राष्ट्र या अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों के प्रयोजनों के लिए माल के क्रय पर संदेय कर के संदाय से छूट देने के लिए सशक्त किया जा सके ।

खंड 154 - केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 8 का संशोधन करने के लिए है जिससे केन्द्रीय सरकार को, उस तारीख से अधिसूचित की जाए, कर की दर चार प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत करने के लिए सशक्त किया जा सके।

खंड 155 - केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 20 का संशोधन करने के लिए है जिससे निर्धारण प्राधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध केंद्रीय प्राधिकारी को, केवल वहां जहां कोई अंतरराज्यीय विवाद अंतर्वलित है, अपील फाइल करने के लिए व्यवहारी को, सशक्त किया जा सके । ऐसा ऐसे आदेश की तामील की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर जिसे साठ दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, किया जाना चाहिए, यदि अपीलार्थी को अपील फाइल करने से पर्याप्त हेतुक द्वारा निवारित किया गया था ।

खंड 156 - केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 21 का संशोधन करने के लिए है जिससे संबंधित राज्य सरकार को निर्धारण प्राधिकारी के आदेश में किसी व्यथित व्यवहारी द्वारा फाइल की गई अपील में पक्षकार बनाने के लिए समर्थ किया जा सके। संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेख यथाशक्यशीघ्र उसे वापस किए जाएंगे।

खंड 157 - केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 23 का संशोधन करने के लिए है जिससे किसी मांग की वसूली पर रोक की बाबत भी अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए प्राधिकारी को सशक्त किया जा सके ।

प्रकीर्ण

खंड 158 - वित्त अधिनियम, 1989 की धारा 46ख और धारा 46ग का संशोधन करने के लिए है जिससे कि किसी वाहक, जो यात्रियों से संगृहीत अंतरदेशीय वायु यात्रा कर का संदाय करने में असफल रहता है और कंपनियों द्वारा उससे संबंधित अपराधों के संबंध में, शास्ति के लिए उपबंध किया जा सके ।

खंड 159 - वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 की दूसरी अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे कि सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात मोटर स्प्रिट पर, यथास्थिति, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क या अतिरिक्त सीमाशुल्क को एक रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर एक रुपए पचास पैसे प्रति लीटर किया जा सके ।

खंड 160 - वित्त अधिनियम, 1999 की दूसरी अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे कि उच्च गति डीजल तेल पर, यथास्थिति, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क या अतिरिक्त सीमाशुल्क को एक रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर एक रुपए पचास पैसे प्रति लीटर किया जा सके ।

खंड 161 - वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे इस विधेयक की तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर उसमें लिखित दर से राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क उद्गृहीत किया जा सके । उक्त संशोधन केवल 29 फरवरी, 2004 तक, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी होगा ।